न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/29/2025	2025/161	15.07.2025	06.01.2026

1.रमेशचन्द पुत्र श्रीनिवास शर्मा, निवासी ग्राम गोरखपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलांट

बनाम

1.तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर (राज०)।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ दिनांक 09.06.2025 प्रकरण संख्या 48/2025–26

उपस्थितः–
01.श्री जगदीश शर्मा –वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 09.06.2025 प्रकरण संख्या 48/2025–26 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपील हाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब, राजगढ तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज०) के आलोच्य आदेश दिनांक 09.06.2025 से नकल के दिन मुजरा लेकर मामुलन अंदर मियाद पेश है। अपील हाजा तहसीलदार साहब, राजगढ़ तहसील राजगढ जिला अलवर (राज०) के आलोच्य आदेश के विरूद्ध अपील हाजा अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील हाजा पर कोर्टफीस दो रूपये प्रस्तुत है। तहत न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया न ही अपीलांट पर सम्यक रूप से कोई तामील हुई न कोई तामील कुनन्दा तामील लेकर आया। कुल कार्यवाही तामील कागजी तौर पर की गई है। आलोच्य आदेश न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दिनांक 16.05.2025 को तहत न्यायालय में पेश किया। इसके बाद आगामी पेशी दिनांक 23.05.25 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और इसके बाद तीसरी आगामी पेशी दि० 09.06.2025 को फैसला भी कर दिया तथा फैसले से पूर्व रजिस्ट्री से तामील भेजी जानी चाहिये थी जो नहीं कराई गई तथा मात्र तीन पेशियों पर ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला तथा आलोच्य आदेश नियम कानून व प्रकिया के खिलाफ होने के कारण निररस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नंबर 130 रकबा 23 ऐयर में से मात्र 0.01 है० पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताया गया है जो कि सरासर गलत है जबकि मौके पर पटवारी हल्का ने आकर अपीलांट की मौजूदगी में कोई मौका ही नहीं देखा न ही इससे पूर्व अपीलांट को मौका देखे जाने बाबत कोई नोटिस देकर तलब किया न किसी तरह की सूचना दी। कुल कार्यवाही पटवारी हल्का ने अपने कार्यालय में बैठकर कागजी तौर पर की है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट ने प्रश्नगत आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि सही तथ्य यह है कि स्वयं तहसीलदार साहब द्वारा भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत आराजी साबिक खसरा नंबर 80 मिन, जिसका हाल खसरा नंबर 130 है. वाके ग्राम गोरखपुर तहसील राजगढ़ की 454 वर्गगज भूमि का आवंटन अपीलांट को बाकायदा 5/– रूपये पट्टा फीस लेकर दिनांक 16.12.1988 को किया गया था। ताईद में सनद की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रकार से अपीलांट अपनी अपनी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज हैं एवं साबिक जमाबन्दी संवत 2019 में साबिक खसरा नंबर 80 गै०मु० आबादी में दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु हाल आराजी खसरा नंबर 130 को हाल जमाबंदी संवत 2075 में गै०मु० रास्ता गलत प्रकार से दर्ज किया हुआ है जो इन्द्राज साबिक रिकॉड के खिलाफ है। जबकि अपीलांट साबिक खसरा नंबर 80 हाल खसरा नंबर 130 रकबा 0.23 है0 में से अपनी पट्टेशुदा भूमि 454 वर्गगज पर कब्जा है, जो कब्जा अपीलांट का कदीमी से चला आ रहा है। इसलिए आलोच्य आदेश खिलाफ मौका कब्जा व खिलाफ रिकॉर्ड होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट का अपनी अपनी पट्टेशुदा भूमि पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

कदीमी से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट मकान बनाकरा अपने परिवार सहित रह रहा है और उक्त भूमि आबादी के उपयोग में आ रही है। अपीलांट ने किसी तरह से सरकारी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तथ्यों एवं साबिक रिकॉर्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। यदि अपीलांट को उसकी पट्टेशुदा कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए आलोच्य निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अन्य वजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जायेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार, राजगढ जिला अलवर के आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2025 प्रकरण संख्या 48/2025–26 को निरस्त फरमाया जावे। कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहत न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया न ही अपीलांट पर सम्यक रूप से कोई तामील हुई न कोई तामील कुनन्दा तामील लेकर आया। कुल कार्यवाही तामील कागजी तौर पर की गई है। दिनांक 23.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और इसके बाद तीसरी आगामी पेशी दि० 09.06.2025 को फैसला भी कर दिया तथा फैसले से पूर्व रजिस्ट्री से तामील भेजी जानी चाहिये थी जो नहीं कराई गई तथा मात्र तीन पेशियों पर ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। अपीलांट अपनी अपनी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज हैं एवं साबिक जमाबन्दी संवत 2019 में साबिक खसरा नंबर 80 गै०मु० आबादी में दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु हाल आराजी खसरा नंबर 130 को हाल जमाबंदी संवत 2075 में गै०मु० रास्ता गलत प्रकार से दर्ज किया हुआ है जो इन्द्राज साबिक रिकॉड के खिलाफ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपील के समर्थन में साइटेशन आर0आर0टी 2022–23(supp.), 2022–23(supp.) आर0आर0टी0 143 पेश की है।

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि पटवारी हल्का पलवा द्वारा राजस्व ग्राम गोरखपुरा के आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.23 है० की किस्म सिवायचक गै0 मु. रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० पर मकान बनाकर रमेशचन्द पिता श्रीनिवास शर्मा निवासी गोरखपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलबर द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामिल के अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। जिससे अपीलांट की ग्राम गोरखपुरा के आराजी खसरा अम्बर 130 रकबा 0.23 हेक्ट० किस्म सिवायचक गै. मु. रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० पर मकान बनाकर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतीत होती है। इस कारण से अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। भू०अ० निरीक्षक डिगावड़ा व पटवारी हल्का पलवा की रिपोर्ट सम्बत 2082 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम गोरखपुरा की किस्म सिवायचक गै.मु. रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.23 हैक्ट० किस्म सिवायचक गै.मु. रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा पेनल्टी अधिरोपित की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का पलवा की संवत 2082 की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 के अनुसार ग्राम गोरखपुरा के आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.23 है० की किस्म सिवायचक है। गै0 मु. रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० पर मकान बनाकर रमेशचन्द पिता श्रीनिवास शर्मा निवासी गोरखपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलबर द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामिल के अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। जिससे अपीलांट की ग्राम गोरखपुरा के आराजी खसरा अम्बर 130 रकबा 0.23 हेक्ट० किस्म सिवायचक गै. मु. रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० पर मकान बनाकर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतीत होती है। इस कारण से अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 से अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सिद्ध होता है। अपीलांट वकील द्वारा उक्त विवादित आराजी का पट्टाशुदा आराजी होना बताया गया है किन्तु अपीलांट को विवादित आराजी (आराजी खसरा न0 130 रकबा 0.23 है0) पर किस दिशा में पट्टा मिला है और तहसीलदार द्वारा किस दिशा में अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है इसके संबंध में कोई मानचित्र/नक्शा या कोई स्पष्ट दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जमाबंदी में भी आराजी खसरा न0 130 रकबा 0.2300 है0 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलांट द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार गै0मु0 रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 48/2025–26 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 09.06.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रकरण संख्या 48/2025–26 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर